



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं0 पटना 817) पटना, शुक्रवार, 17 जुलाई 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

17 जुलाई, 2026

एस0ओ0 127, दिनांक 17 जुलाई 2026—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम सं0-46) की धारा-9 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से मुजफ्फरपुर न्यायमंडल के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी0बी0आई0) द्वारा अनुसंधानित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु कार्यरत न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय का कार्य संचालन प्रति सप्ताह दो दिन से विस्तारित करते हुए सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस किया जाता है।

- उक्त न्यायालय अन्य मामलों की तुलना में सी0बी0आई0 से संबंधित मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देंगे।
- इससे संबंधित पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं/आदेशों को इस हद तक संशोधित किया जाता है।
- यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-15/1998/(अंश-II) 5686/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

बासनो शंकर मेहरोत्रा,

विशेष सचिव-सह-प्रभारी सचिव, बिहार।

17 जुलाई, 2026

एस0ओ0 127, दिनांक 17 जुलाई 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/एक्ट-15/1998/(अंश-II) 5686/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बासनो शंकर मेहरोत्रा,

विशेष सचिव-सह-प्रभारी सचिव, बिहार।

The 17th July 2026

S.O. 127 dated The 17th July 2026.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section-9 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act. No.-46 of 2023), the Government of Bihar, in consultation with the High Court of Judicature at Patna, extends the functioning of the Court of Judicial Magistrate for the speedy disposal of cases investigated by the Central Bureau of Investigation (C.B.I.) working at Muzaffarpur Judgeship from two days per week to each working day of the week.

2. This Court will give priority to CBI related cases over other pending cases.
3. The previous notifications/orders on the subject, are amended to this extent.
4. This notification shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

(File No.-A/Act -15/1998 (Part-II) 5686/J.)

By Order of the Governor of Bihar,

Basno Shanker Mehrotra,Special Secretary-Cum-In-charge Secretary
to the Government of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 817-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>